

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/21/2026

दायर दिनांक 27.03.2026

रजि0 न0 2026/48

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री संतोष मीना, नि. जे-77, तीसरा तल,
पर्यावरण कॉम्पलेक्स, ईग्नू रोड, नई
दिल्ली 110068

लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर
विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 30.03.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 09.02.2026 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.03.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी द्वारा जवाब अपील पत्रांक क्रमांक-13906 दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 09.02.2026 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यास कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.02.2026 को प्रस्तुत कर खसरा नं. 1510 अलवर नं. 2 के प्लॉट नं. 91 भूरासिद्ध चोर डूंगरी के संबंध में कुल सात बिन्दुओं के संबंध में सूचना चाही गई थी। जिसके क्रम में प्रार्थी को न्यास पत्र क्रमांक 13231 दिनांक 24.02.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(जे) के अनुसार देय नहीं है तथा साथ ही उक्त पत्रांक की एक प्रमाणित प्रति तृतीय पक्षकार श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व० श्री रामकृपाल यादव निवासी- राजाजी का बास, पुलिस लाईन जिला अलवर को भेजते हुए उक्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में अपनी सहमति/असहमति कार्यालय में प्रस्तुत करने को लेख लिखा गया। जिसके संबंध में तृतीय पक्षकार द्वारा पत्रांक एफ/यूआई.टी. /2026/1380 दिनांक 27.02.2026 से यूआई.टी. कार्यालय प्रभारी अधिकारी को उक्त सूचना के संबंध में अपनी असहमती दी गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्रांक क्रमांक 13906 दिनांक 16.03.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 30.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।



(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर